न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/17/2020

कानसिंह उम्र 85 वर्ष पुत्र श्री मेघसिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डवाड़ा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– प्रार्थी/वादी

बनाम

हनुमान पुत्र गोमा जाति दरोगा निवासी मूण्डवाड़ा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– अप्रार्थी/प्रतिवादी

आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–

01. श्री विजय सिंह तंवर, वकील प्रार्थी की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 18.11.2025

आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "वादी/प्रार्थी ने प्रस्तुत दावा व आवेदन बहुत ही ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खसरा सं. 868/1238 रकबा 0.8000 हेक्टेयर, जिसके पुराने खसरा सं. 521/3 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमियां है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से लेकर आज तक उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी व कब्जा काश्त प्रार्थी का ही चला आ रहा है। प्रार्थी ही उक्त कृषि भूमियों की लांट–बांट करता आ रहा है। किसी भी रूप में किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध सरोकार किसी भी रूप में नहीं रहा है। राजस्व रेकार्ड प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी की उक्त कृषि भूमियों का राजस्व रेकार्ड काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, तब से लेकर द्वितीय पैमाईश तक प्रार्थी की खातेदारी में रही है, जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम मूण्डवाड़ा सम्वत् 2034 से 2037 तक चली आ रही थी। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवेदन में प्रश्नगत कृषि भूमियों की खातेदारी द्वितीय पैमाईश के समय तक प्रार्थी के पक्ष में रही तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से लेकर अब तक प्रार्थी का उक्त भूमियों पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके बावजूद द्वितीय पैमाईश के दौरान बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व बिना किसी कानूनी आधार के उक्त कृषि भूमि की खातेदारी पैमाईश सम्वत् 2041 से 2060 में बिना किसी आधार के उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थी के नाम अंकित कर दी। जबकि भू–प्रबन्ध अधिकारियों को किसी भी खातेदार काश्तकार की कृषि भूमियों की खातेदारी बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कानूनन किसी भी खातेदार की भूमियों का खाता केवल सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा विक्रय–पत्र के आधार पर ही खातेदारी बदली जा सकती है। लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.19 12:54:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

पैमाईश के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आवेदन में प्रश्नगत कृषि भूमि जो प्रार्थी की खातेदारी में थी तथा प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके बावजूद बिना कानूनी अधिकार के खातेदारी अप्रार्थी के नाम अंकित कर दी जो कानून के खिलाफ होने से प्रारम्भ से अवैद्य व शून्य है। भू–प्रबन्ध अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी बिना सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा विक्रय–पत्र के अभाव में खातेदारी परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी जो कि चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा उसने भू–प्रबन्ध कर्मचारियों से साज कर प्रार्थी की खातेदारी की भूमियों की खातेदारी बिना किसी सक्षम आदेश के अपने नाम अंकित करवा ली जो कानून के खिलाफ होने से प्रारम्भतः शून्य है। प्रार्थी प्रारम्भ से यही समझता रहा कि खातेदारी प्रार्थी के नाम से ही होगी तथा कब्जा काश्त भी प्रार्थी के कब्जे में ही चल रहा है। लेकिन दिनांक 01.03.2020 को प्रार्थी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर अपनी उक्त खातेदारी की जमाबन्दी प्राप्त की तो प्रार्थी को पता चला कि पैमाईश के दौरान वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमियों की खातेदारी अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गयी जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उसके नाम से गलत खातेदारी भू–प्रबन्ध के दौरान हो जाने के कारण खातेदारी सहमति से दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी साफ इंकार हो गया तथा अप्रार्थी ने स्पष्ट खुली ऐलानियां धमकी दी कि खातेदारी उसके नाम से अंकित हो गयी है। इस कारण वह किसी भी दीगर भू–माफिया गिरोह को उक्त भूमियों का बेचान करेगा अप्रार्थी को प्रार्थी की उक्त भूमियों को किसी भी रूप में विक्रय, अन्तरित, प्रभारित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण अप्रार्थी को इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जाना न्यायोचित है। वाद कारण दिनांक 02.07.2020 को पैदा हुआ जब प्रार्थी ने अप्रार्थी को आवेदन में प्रश्नगत कृषि भूमियों की खातेदारी प्रार्थी के नाम सहमति से दुरूस्त करवाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को खुली ऐलानियां धमकी दी कि खातेदारी उसके नाम से अंकित हो चुकी है। इस कारण वह उक्त भूमियों को किसी भी भू–माफिया गिरोह को विक्रय कर देगा अथवा भूमियों पर बलात् कब्जा करेगा अथवा भूमियों को रहन आदि कर देगा, जिसका कि उसको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जाना न्यायोचित है। वादी/प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बड़ा ही सुपुष्ट है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और यदि अप्रार्थी गलत रूप से गलत खातेदारी की आड़ में प्रश्नगत कृषि भूमियों को विक्रय अन्तरित प्रभारित कर देते है, तो प्रार्थी को असीम क्षति होगीख जिसकी तलाफी बाद में धन से नहीं हो सकेगी। इस कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूरी–पूरी सम्भावना है। इस कारण अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। आवेदन निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वे दावे व आवेदन में प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा सं. 868/1238 रकबा 0.8000 हेक्टेयर वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर को गलत खातेदारी की आड़ में भूमियों को विक्रय अन्तरित प्रभारित करने से व प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दस्तन्दाजी करने से बाज रहे तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।''

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री वकील श्री अतुल चौधरी, एड. उपस्थित हुये, लेकिन उक्त के बाद न्यायालय समय वकील अप्रार्थी व अप्रार्थी स्वयं का बार–बार आवाज लगवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.19 12:54:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

के बावजूद भी कोई भी उपस्थित नहीं होने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने आवेदन के कथन दोहराकर कथन किया कि हस्तगत आवेदन को स्वीकार किया जावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली, आवेदन एवं सभी दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में वर्णित आराजी खसरा सं. 85 रकबा 0.4000 हेक्टेयर वाके ग्राम संतोषपुरा पटवार हल्का कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के संबंध में वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के अनुसार विवादित भूमि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा विवादित आराजी में अप्रार्थी का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी साबित है। चूंकि इस स्टेज पर आराजी का विक्रय अन्तरण होता है या मौका स्थिति का परिवर्तन होता है या एक दूसरे के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी होती है तो वाद बहुलता होगी तथा पक्षकारान को भी अत्यधिक असुविधा होगी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला उभयपक्षों के हक में बनता है।

(B) सुविधा का संतुलन– उक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थी की खातेदारी में है। अतः सुविधा का संतुलन उभयपक्ष में है।

(C) अपूरणीय क्षति– यदि विवादित आराजी के मौके में परिवर्तन होता है तो इससे वाद बहुलता बढेगी तथा अपूरणीय क्षति उभयपक्षों को होगी। अतः अपूरणीय क्षति भी उभयपक्ष को ही होनी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष को राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 868/1238 रकबा 0.8000 हेक्टेयर वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। यह आदेश उक्त अंतरिम स्थगन प्रचलित रास्तों/कटान के रास्तों, जल/विद्युत संबंध, राको रोड़ा के तहत बैंक कार्यवाही आदि पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.19 12:54:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner